7-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रस्तुत हुई। वादी की ओर से सियाराम व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी नं० 4 व 7 उपस्थित। वादी का कथन है कि प्रतिवादी नं० 4 ता 6 ने अपने हिस्से की जमीन अन्य को बेचान कर दी, जबकि हम ही बेचान करना चाहते थे। प्रतिवादी का कथन है कि हमने हमारे हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया है। हमने जिसको बेचान किया है, वह व्यक्ति हमारे नाम खातेदारी (रजिस्ट्री) हेतु तैयार है। दोनों पक्ष उक्त भूमि का विवाद समाप्त होने पर ही बटवारा करवाने को सहमत हैं अतः वाद इसी स्टेज पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नियम से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

सियाराम

बिमल

नि. सी. आर

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक